# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2640/2016

| –:: प्रार्थी ::– | बनाम | –:: अप्रार्थीगण ::– |
|---|---|---|
| 1. रामलाल पुत्र बीजाराम जी जाति–मेघवाल निवासी–सिणला, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.। | | 1. पुखाराम पुत्र घेवरराम<br>2. कालूराम पुत्र पाबूराम<br>3. रामलाल पुत्र पाबूराम<br>4. चैनाराम पुत्र पाबूराम<br>5. दूलाराम पुत्र पाबूराम<br>6. धन्नाराम पुत्र घेवरराम<br>7. बगदाराम पुत्र घेवरराम जातियान–माली, निवासीगण–आ.कालू, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।<br>8. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली राज.। |

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तारीख रजू: 25/07/2016

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी,अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चुतराराम भाटी एवं जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 12/02/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ.कालू पटवार हल्का आ.कालू द्वितीय तहसील जैतारण में सायल की खरीदसुदा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 571 रकबा 21–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल के खरीद करने से पहले विजयसिंह बलाई की थी, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था तथा उसने दिनांक 17.12.2012 को सायल के पक्ष में अपने 3/4 हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। तो इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजी में सायल का 3/4 वें हिस्से का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हो गया। सायल ने उक्त आराजी खरीद करने के बाद रजिस्टर्ड बेचाननामा की एक प्रति तहसीलदार जैतारण को दी कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में इस बेचाननामा के आधार पर अमल दरामद किया जावे, परन्तु तहसीलदार जैतारण ने रजिस्टर्ड बेचाननामा होने के बाद भी सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया। नकल रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होते हुये भी तथा इन तथ्यों की भलीभांति जानकारी होते हुये भी घेवर पुत्र भाला कौम–माली निवासी–आ.

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

कालू ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के समक्ष पेश कर न्यायालय को मुगालते में रखते हुए बाले बाले डिक्री करवाकर के अपने नाम से म्युटेशन संख्या 1080 दिनांक 14.06.2013 को पारित करवा लिया। जबकि उससे पहले उक्त आराजी सायल ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद कर मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया, परन्तु फिर भी गलत आधारों पर डिक्री पारित करवाकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को अपनी बताकर के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा लिया जो काबिल मन्सूख के होने से अपास्त फरमावे। धारा 42 राज.काश्त. अधिनियम में स्पष्ट रूप से अभिकथन किया गया है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन का हस्तान्तरण कतई वैध नहीं है। परन्तु फिर भी तहसीलदार, जैतारण ने जो म्युटेशन पारित किया वह काबिल अपास्त के होने से अपास्त फरमावे। तथा गैरसायलान का वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में जो नाम अमल दरामद है उन्हें भी हटाया जाकर सायल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के उक्त आराजी के 3/4 वें हिस्से में इन्द्राज किया जावे। इस आशय की घोषणा विरूद्ध गैरसायलान के पारित की जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी पहले मंगलाराम, धारूराम, बाबूलाल व दाखूड़ी पिसरान रूधा जी कौम–मेघवाल के नाम इन्द्राज थी तथा सायल के पूर्ववर्ती खरीददार विजयसिंह बलाई ने इन्हीं लोगों से खरीद भी की एवं उसके बाद आगे से आगे बेचान होते हुये उक्त आराजी सायल के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध बेचान के निष्पादित हुई। परन्तु इस दौरान घेवर पुत्र भाला कौम–माली ने म्युटेशन संख्या 1080 दिनांक 14.06.2013 को अपने नाम पारित करवा लिया एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा लिया था। घेवर पुत्र भाला के फौत होने के बाद उक्त आराजी जरिये विरासत में उनके वारिसान को मिली। तथा उनके वारिसान ने बिना किसी हक व अधिकार के यह जानते हुए भी कि उक्त आराजी अनुसूचित जाति की है एवं जिसमें स्वर्ण जाति के व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है फिर भी जानबूझकर उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के आगे से आगे बेचान कर दी। तथा वर्तमान में उक्त आराजी गैरसायलान के नाम इन्द्राज है। जिन्होनें घेवर के वारिसान से उक्त आराजी खरीद की। परन्तु उक्त आराजी सेटलमेंट से पहले से लेकर के आज दिन तक भी अनुसूचित जाति के लोगों की होने से स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जिसका स्पष्ट उल्लेख धारा 42 राज. काश्त. अधिनियम में है। इसी अनुरूप सायल ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की है। जिससे उक्त आराजी में एकमात्र हक व अधिकार सायल का ही है। इसलिए गैरसायलान का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर के सायल का नाम इन्द्राज किया जावे। इस आशय की घोषणा की डिक्री बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे। उपरोक्त वर्णित आराजी में सायल का माफिक हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त है तथा उक्त आराजी सायल ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की है जिससे सायल को पूर्ण कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है गैरसायलान को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी में कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत रूप नाम इन्द्राज हो जाने से उसको कानूनी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भी गैरसायलान का नाम हटाकर के सायल का नाम 3/4 हिस्से में अमल दरामद किये जाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 07.07.2016 को सायल द्वारा गैरसायलान को

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकर्ड में से अपना नाम हटाकर के अपने नाम का इन्द्राज करने का निवेदन किया परन्तु गैरसायलान ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं उक्त आराजी को आगे से आगे जरिये रहन बेचान के अन्य हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी दी। यदि सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होता है तो सायल अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा। तथा सायल गैरसायलान के द्वारा किये जा रहे अवैध बैचान की कार्यवाही का भी विरोध करेगा जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी एवं मौके पर खुन खचर होगा विवाद होगा। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथमदृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान जबरदसती सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करते हैं या सायल के हक हिस्से की आराजी को अजनबी क्रेताओं को बेचान कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती उक्त आराजी को रहन बेचान के अन्य हस्तांतरण कर दिया तो सायल उनको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। तथा मौके पर विवाद होगा इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी में सायल माफिक अपने हक हिस्से के काबिज होकर काश्त करें या करावे एवं काश्त मुतालिक कार्य करे या करावे तो उसमें गैरसायल किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी, बाधा अड़चन पैदा नहीं करें। एवं न ही उक्त आराजी को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण ही करे एवं न ही मौके पर किसी प्रकार से कोई खुर्द बुर्द ही करें, ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायल को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरूद्ध गैरसायल के सादिर फरमावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 08 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पेश किया, जो सामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 गलत से अस्वीकार है। सरहद मौजा आ.कालू चक नंबर 02 में खसरा नंबर 571 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आई हुई है वादी ने रोंग एन्ट्री के आधार पर बिना कब्जे के भू माफिया के तौर पर यदि रजिस्ट्री करवाई होगी तो अप्रार्थीगण के खिलाफ बेअसर है वादी को मालूम नहीं है कि उक्त जमीन कहां पर आई हुई है। अप्रार्थीगण वक्त सेटलमेन्ट के पहले से इनके बाप दादा के समय से

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

काबिज है। यह है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है वादी के खरीद करने के पहले उक्त जमीन विजयसिंह बलाई ने मंगलाराम, धारूराम, बालुराम पुत्र रूघा कौम भांबी से गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने की नियत से बैचानकर्ता का कब्जा काश्त नहीं होते हुए भू माफिया ने बेनामी रजिस्ट्री दिनांक 07.06.2007 को करवाई जो नल एण्ड वोईड है उक्त रजिस्ट्री माफिक खरीदकर्ता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो सका। क्योंकि उक्त भूमि बाबत श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय से दिनांक 30.06.2000 को अप्रार्थीगण के पिता घेवर व पाबूराम के नाम का फैसला हो चुका था जिसका नामान्तरणकरण नहीं होने से उक्त रजिस्ट्री कराई गई जो गलत व विधिविरूद्ध होने से स्वतः ही रद्द है उसके बाद विजयसिंह बलाई ने दिनांक 17.12.2012 को वादी रामलाल पुत्र बींजाराम के नाम रजिस्ट्री विजयसिंह के नाम बिना नामान्तकरण के रजिस्ट्री कराई गई जो स्वतः ही रद्द है। उक्त दोनों रजिस्ट्रीया के आधार पर खरीद कर्ता का नाम कब्जा नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद नहीं हो सका। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 से 07 बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है। सरहद मौजा आ.कालू चक नंबर 02 की भूमि खसरा नंबर 571 रकबा 21 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता प्रपिता के समय से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में होने के पूर्व से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त होने से एवं गिरदावरी संवत 2010 से 2023 तक अप्रार्थीगण के पिता पर पिता के नाम होने के उपरान्त भी मांगीया पुत्र घेवर भाबी का नाम सेटलमेंट के समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत कर दिये इसलिये अप्रार्थीगण के पिता दादा ने मांगीया के विरूद्ध खातेदारी का वाद संख्या 28/1995 का पेश किया जिसमें मांगीया ने राजीनामा भी किया लेकिन सहायक कलक्टर साहब जैतारण ने दिनांक 23.03.1996 में वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसकी अपील घेवर वगैरा पाली में राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील पेश की जिसका फैसला घेवर, पाबूराम माली के पक्ष में दिनांक 30.06.2000 को हुआ उक्त निर्णय माफिक घेवर, पाबुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया, जिसकी अपील तहसीलदार जैतारण ने राजस्व मण्डल अजमेर में की तहसीलदार जैतारण की द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 26.07.2001 को अपील संख्या 66/2001 खारिज हुई राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण ने रिट पीटिशन संख्या 122/2004 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की जो रिट पीटिशन दिनांक 29.03.2004 को खारिज की गई उसके बाद सभी निर्णयों का अवलोकन करने के बाद नामान्तरकरण संख्या 1080 अप्रार्थीगण के पिता घेवर पुत्र भाला जाति-माली के नाम दिनांक 14.06.2013 को भरा गया। इसलिए दिनांक 07.06.2007 व दिनांक 17.12.2012 को कराई गई दोनों रजिस्ट्रीया बिना कब्जे के व रोंग एन्ट्री का नाजायज फायदा उठाने की नियत से की गई, जो विधिविरूद्ध होने से खरीद कर्ता के नाम म्यूटेशन नहीं हो सके और अपील भी विचाराधीन होने से राजस्व रेकर्ड को यथावत रखा गया। इसलिए वादी द्वारा कराई गई रजिस्ट्री विधिविरूद्ध होने से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं किया गया अब उक्त रजिस्ट्री माफिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। वर्णित आराजी पहले मंगलाराम, धारूराम, बाबूलाल व दाखुड़ी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (मारवाड़)

Scanned with CamScanner

पिसरान रूघा के नाम गलत दर्ज थी। पूर्ववर्ती खरीददार विजयसिंह बलाई ने रोग एन्ट्री से बिना कब्जे के रजिस्ट्री करवाई जो विधि विरुद्ध होने से माफिक रजिस्ट्री राजस्व रेकर्ड में विजयसिंह का नाम अमल दरामद नहीं किया गया दिनांक 29.03. 2004 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय होने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा सभी फैसलों का अवलोकन करने के बाद दिनांक 14.06.2013 को घेवर माली के नाम नामान्तकरण करके राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया इसलिए अब अदालत बाला को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय तक फैसला हो चुका है अब अदालत बाला पुनः कोई निर्णय नहीं दे सकता घेवर पुत्र भाला के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 1603 दिनांक 25.05.2014 को भरा जाकर बतौर विरासत के पुखाराम, धन्नाराम, बगदाराम, सायरी, हारकी पिसरान घेवर दर्ज कर दिया गया फिर नामान्तकरण संख्या 1614 के माफिक दिनांक 05.09.2014 को उक्त भूमि का बेचान होने से पुखाराम पुत्र घेवरराम के 1/5 हिस्सा, कालूराम, रामलाल, चेनाराम, दुलाराम पुत्र पाबूराम 7/15 हिस्सा दर्ज कर दिया गया एवं धनाराम बगदाराम पुत्र घेवरराम का 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज कर दिया जो वर्तमान चालू जमाबन्दी जवाब दावा के साथ पेश है यह लिखा अतिश्योक्ति नहीं होगा कि वादी अपने वाद में बार बार दोराया कि उक्त भूमि अनुसूचित जाति की होने से न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जा सकता और न बैचान की जा सकती है जबकि उक्त भूमि घेवर व उनके बाप दादा के समय से यानि काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से कब्जा काश्त होने से धारा 42 काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी का मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और न वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थी का है सभी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी ने विधिविरुद्ध कानून को ताक में रखकर नाम रजिस्ट्री कराई, जो अवैध है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। सरहद मौजा आ.कालू चक नंबर 02 में खसरा नंबर 571 रकबा 21 बीघा पर किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आई हुई है। वक्त सेटलमेन्ट से पहले से उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का अपने पिता पर पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए प्रथमदृष्टतया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा व काश्त होने व राजस्व रेकर्ड में नाम अप्रार्थीगण का होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थीगण ने केवल मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की मंशा से गलत तथ्य लिखे है अप्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से आगे से आगे बैचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी जमीन का बेचान करते है तो प्रार्थी को कोई नुक्सान नहीं होगा न विविध प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली एवं उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं:-

**(1) प्रथमदृष्ट्या मामला** - ऐसा मामला जिसे साबित नहीं किया गया है लेकिन वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्थापित हो जाये कि वादग्रस्त आराजी में प्रथमदृष्ट्या कोई हित वादी के पक्ष में निहित होना बनता है। ग्राम- आ.कालू द्वितीय तहसील-जैतारण की जमाबंदी संवत् 2070-2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 571 रकबा 21 बीघा घेवर पुत्र भाला कौम-माली के नाम बतौर खातेदार दर्ज है नामान्तरण संख्या 1603 दिनांक 20.05.2014 की प्रविष्टि के अनुसार विरासत से घेवर के स्थान पर पुखाराम, धन्नाराम, बगदाराम, सायरी, हारकी पिसरान घेवरराम दर्ज हुई है वहीं नामान्तरण संख्या 1614 दिनांक 05.09.2014 जरिये बैचान धन्नाराम, बगदाराम, सायरी, हारकी पिसरान घेवरराम के स्थान पर कालूराम, रामलाल, चेनाराम, दुलाराम पि. पाबुराम के नाम दर्ज हुए। नामान्तरण संख्या 1080 की प्रविष्टि के अनुसार न्यायालय निर्णय पर्चा डिक्री दिनांक 30.06.2000 राजस्व अपील अधिकारी, पाली की अनुपालना में खातेदार मंगलाराम, धारूराम, बाबुलाल पिसरान रूगा, दाखुडी बेवा रूगा कौम भांबी के स्थान पर घेवर पुत्र भाला कौम-माली का नाम दर्ज किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बेचाननामा 2012002534 दिनांक 17.12.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विजयसिं महरिय पुत्र बंशीधर महरिया जाति-बालाई निवासी- पुजारी का बास ग्राम-पंचायत जयरामपुरा तहसील- श्रीमाधोपुर जिला-सीकर द्वारा ग्राम- आ.कालू द्वितीय तहसील- जैतारण की आराजी खसरा संख्या 571 रकबा 21 बीघा में से अपना खरीदशुदा हिस्सा 3/4 भाग जो उसने जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 07.06.2007 को खातेदार मंगलाराम, धारूराम, बाबुलाल पिसरान रूगा निवासी- आ.कालू से क्रय किया था, श्री रामपाल पुत्र बींजाराम जाति- मेघवाल निवासी- सिणला तहसील- जैतारण जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/वादी है, के पक्ष में कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैचान से आगे बैचान के आधार पर वादग्रस्त आराजी क्रय की गई थी, परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2007 के पंजीकृत बैचान की प्रति प्रस्तुत नहीं की है तथा न ही उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में निर्णित विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के संबंध में कोई कथन किया है तथा न ही वादग्रस्त आराजी पर उसके कब्जाकाश्त के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी अप्रार्थी द्वारा शपथपत्र के साथ प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के पिता दादा द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 28/1995 जो न्यायालय सहायक कलक्टर, जैतारण द्वारा दिनांक 27.03.1996 को खारिज किया गया जिसकी अपील पर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय से दिनांक 30.06.2000 को अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय हो चुका है। जिसकी अपील तहसीलदार, जैतारण द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में की गई जो अपील संख्या 66/2001 दिनांक 26.07.2001 को खारिज की गई, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 122/2004 द्वारा अपील की गई जो माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.03.2004 को खारिज कर दी गई जिसके तत्पश्चात नामांतरण संख्या

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

1080 दिनांक 14.06.2013 को अप्रार्थीगण के पिता घेवर पुत्र भाला के पक्ष में भरा गया। अतः दिनांक 07.06.2207 एवं 17.12.2012 को कराई गयी दोनों रजिस्ट्रीयां बिना कब्जे के व रोंग एन्ट्री का नाजायज फायदा उठाने की नियत से की गई, जो शून्य है। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में कोई कथन, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही इनका खण्डन किया है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी अपने पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

**(2) सुविधा का संतुलन** – उपर्युक्त बिन्दू संख्या 01 जो कि वादी/प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हो चुका है साथ ही वादी/प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर उसके कब्जाकाश्त के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त आराजी के संबंध में वर्तमान में कौन-कौनसी सुविधाओं का संतुलन उसके पक्ष में स्थापित है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज है तथा बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय किया जा चुका है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी/वादी के विरुद्ध स्थापित होता है।

**(3) अपूरणीय क्षति** – बिन्दू संख्या 01 एवं 02 प्रार्थी/वादी के विरुद्ध स्थापित हो चुके हैं साथ ही अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी/वादी के विरुद्ध स्थापित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने तथा सारहीन से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 17:29:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: